दिनांक 12.06.2018 को राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.06.2018 (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह की दसवीं बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने 30.05.2018 को आयोजित आईएलआर के लिए टास्क फोर्स की 9वीं बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कार्यबल ने वित्तीय पहलुओं पर समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में शामिल समस्याओं की जटिलता की सराहना की है। कार्यबल के अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि समूह की अंतरिम रिपोर्ट जुलाई, 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जाए । अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि शेष अवधि में अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए दो और बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से एजेंडा मद को चर्चा के लिए लेने का अनुरोध किया।

मद 10.1: 01.05.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय पहलुओं पर समूह की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से पत्र संख्या एससीआईएलआर/तक/400/12/2017/538-54 दिनांक 31-05-2018 के माध्यम से सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों के बीच परिचालित किए गए थे।

मद 10.2: दिनांक 30.05.2018 को आयोजित आईएलआर की बैठक के लिए टास्क फोर्स में प्रस्तुति

जैसा कि उनकी परिचयात्मक टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष ने एक बार फिर उन बिंदुओं को समझाया जिन पर उन्होंने 30.05.2018 को आयोजित टास्क फोर्स की 9 वीं बैठक में प्रस्तुति दी थी (अनुलग्नक-10.2 में प्रति संलग्न है)। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) अंतरिम रिपोर्ट जुलाई, 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जा सकती है।

(ii) प्रारंभ में प्राथमिकता प्राप्त लिंकों नामत केन-बेतवा (डीपीआर तैयार), पार-तापी-नर्मदा (डीपीआर तैयार), दमनगंगा-पिंजल (डीपीआर तैयार), और गोदावरी (अकीनेपल्ली)-कावेरी (पीएफआर) के वित्तपोषण पर काम किया जाना चाहिए।

(iii) माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा वित्त समूह को 03 अप्रैल, 2018 को दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार से वित्त पोषण को न्यूनतम रखा जाना चाहिए।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण के लिए रूपरेखा कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए।

मद 10.3: आईएलआर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति।

संयुक्त सलाहकार (डब्ल्यूआर एंड एलआर),नीति आयोग श्री अविनाश मिश्रा ने आईएलआर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

(i) चार प्राथमिकता लिंकों नामत (क) केन-बेतवा (ख) पार-तापी-नर्मदा (ग) दमनगंगा-पिंजल (घ) गोदावरी (अकीनेपल्ली)- कावेरी इसके लाभों और अनुमानित लागत सहित ।

(ii) नदियों को आपस में जोड़ने से अन्य लाभ जैसे (क) बाढ़ नियंत्रण (ख) सिंचाई (ग) सूखा न्यूनीकरण (घ) नौवहन (ङ) रोजगार-मत्स्य पालन (च) पर्यटन (छ) जल विद्युत

(iii) (क) केंद्रीय सहायता (ख) राज्य अंशदान (ग) लाभार्थी अंशदान (घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी (ङ) कर/उपकर और प्रयोक्ता प्रभार (च) बांड और सार्वजनिक निर्गमों के रूप में ऋण सहायता से वित्तपोषण।

(iv) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान से ऋण।

उन्होंने उल्लेख किया कि विश्व बैंक ने विभिन्न जल संबंधी परियोजनाओं को सस्ता ऋण प्रदान किया है ताकि विश्व बैंक से सस्ते ऋण और बाह्य वाणिज्यिक उधार की संभावना का पता लगाया जा सके । सरकारी क्षेत्र (केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान सहित) से वित्त पोषण के बारे में, उन्होंने उल्लेख किया कि 20 से 25% तक का वित्तपोषण संभव है।

मद 10.4: आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ गोसाईं द्वारा प्रस्तुति।

आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ . गोसाईं संभवत: अपने अन्य कार्यक्रमों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके ।

मद 10.5: श्री एच सतीश राव और श्री दीपक दास गुप्ता द्वारा प्रस्तुति।

श्री एच सतीश राव और श्री दीपक दास गुप्ता संभवत: अपने अन्य व्यस्तताओं के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

मद 10.6: भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए धन के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति।

येस बैंक की टीम ने एक संशोधित वित्तीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें 30 वर्ष की अवधि के लिए अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से घरेलू वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) से आईएलआर कार्यक्रम के लिए धन

के संभावित प्रवाह को दर्शाया गया है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, बचत दर, क्षेत्रीय ऋण-जमा प्रवाह आदि पर कुछ निर्दिष्ट धारणाएं बनाई गई हैं। यस बैंक की टीम ने 2019-2030 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लिए भारत सरकार (केंद्र) के आधार पर पूंजीगत व्यय अनुमानों से वित्त पोषण की संभावना का अनुमान भी प्रस्तुत किया।

यस बैंक की टीम द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मॉडल में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया गया था:

- यस बैंक 'तकनीकी अनिश्चितताओं' के लिए समायोजित उच्च आईएलआर लागत को स्वीकार करने के बाद, परिदृश्य के आधार पर डीएफआई फंडिंग के लिए अनुमानों को ठीक करेगा, और डीएफआई और भारत सरकार की उपलब्ध निधियों (अधिमानतः 5 वर्ष की अवधि के अंतराल) में कुल आईएलआर कार्यक्रम लागत का बैठक में विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए 25% के अनुरूप वितरण करेगा।
- वित्तीय प्रक्षेपण की तैयारी में विचार करने के लिए जितनी जल्दी हो सके येस बैंक टीम को लागत (मुख्य नहर लागत, वितरण नेटवर्क, आदि) के साथ डीपीआर परियोजना चरणबद्धता और घटकों का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

मद 10.7: समूह के कार्य की प्रगति की समीक्षा करना और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना।

(i) अध्यक्ष ने चर्चा के अंत में कार्यक्रम की समीक्षा की ।

(ii) यस बैंक से कहा गया कि वह मूल्य स्तर 2015-16 पर आईएलआर परियोजनाओं के लिए कुल वित्तपोषण 868 लाख करोड़ रुपये और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा पर विचार करे जैसा कि श्री एम के सिन्हा ने अपनी प्रस्तुति में सुझाव दिया था। तदनुसार प्रस्तुति की प्रति सुश्री युविका को सौंपी गई।

मद 10.8: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद (मदें)।

सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद समूह की अगली बैठक 28 जून, 2018 को प्रात: 11.30 बजे राजविअ पालिका भवन नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

"समूह की दसवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची "

12 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने पर गठित कार्यबल" के अंतर्गत वित्तीय पहलू ।

1.	डॉ. प्रदीप्तो घोष, पूर्व सचिव, भारत सरकार और सदस्य, आईएलआर के लिए टास्क फोर्स और टेरी के प्रतिष्ठित फेलो, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री ए. बी. पांड्या, महासचिव आईसीआईडी और पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री अविनाश मिश्रा, संयुक्त सलाहकार (डब्ल्यूआर), नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, सलाहकार रणनीतिक सरकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई श्री कपूर का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक तक, राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
6.	श्री एम.के. सिन्हा, मूल्यांकनकर्ता, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और मुख्य अभियंता(सेवानिवृत्त), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
7.	श्री आर के पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
	अन्य अधिकारी	
8.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर), राजविअ, नई दिल्ली	
9.	श्री आर के अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ, नई दिल्ली	

10.	सुश्री युविका ओबेरॉय, अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष , यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
11,	श्री चंदन सिन्हा, उपाध्यक्ष (एसजीए), यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
12.	श्री दसारी श्रीनिवास प्रवीण, प्रबंधक, सीएफआईबी, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
13.	सुश्री नम्रता एस पंवार, यंग प्रोफेशनल (डब्ल्यूआर एंड एलआर), नीति आयोग, नई दिल्ली	